



# अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर College of Engineering & Technology, Bikaner

AN AUTONOMOUS INSTITUTION OF GOVERNMENT OF RAJASTHAN

क्रमांक:- FI(A2)/CET/Reg/2014-15/703

दिनांक:- 26/03/15

## कार्यालय आदेश

महिला अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक 8575 दिनांक 30.12.2013 के निर्देशानुसार भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिसूचना, कार्य स्थल पर लैगिंग उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की पालना में महाविद्यालय में उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का पूर्व में गठित संबंधित समिति आदेश क्रमांक 118 दिनांक 28.01.2012 का पूर्णगठन किया जाता है। इस हेतु निम्न पदाधिकारियों को मनोनित किया जाता है।

पदाधिकारी का नाम	कार्यालय का पता	पद का नाम	पदस्थापन
श्रीमती सुनिता चौधरी (मो. न.- 9413278954)	रा. अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर	सहायक आचार्य	नोडल अधिकारी
माननीया प्रभा भार्गव जी, (मो. न.- 08560085403)	शारदा समाजिक सरोकार एवं शोध संस्थान जेल कुंआ, त्यागी वाटिका, CMHO कार्यालय के पास, बीकानेर	अध्यक्षा, बाल विकास समिति	सदस्य
डॉ प्रिति पारीक (मो. न.- 9460780222 )	रा. अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर	सहायक आचार्य	सदस्य
डॉ अनु शर्मा (मो. न.-9414426100 )	रा. अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर	सहायक आचार्य	सदस्य
डॉ अल्का खामी (मो. न.- 9461470980)	रा. अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर	सहायक आचार्य	सदस्य
डॉ मुकेश एम. जोशी (मो. न.- 9414052529)	रा. अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर	सह-आचार्य	सदस्य

उक्त समिति महाविद्यालय में लैगिंग उत्पीडन की शिकायत होने पर भारत सरकार के अधिनियम 2013 के नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाएगी जिसकी अधिसूचना अधिनियम 2013 की प्रति समिति को भेजी जा रही है साथ ही उक्त अधिनियम अध्याय VIII की धारा 21 (1) की पालना में आंतरिक शिकायत समिति के द्वारा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में निर्धारित फॉर्म में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर नियोक्ता को प्रस्तुत करनी होगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे।

1. वर्ष में प्राप्त लैगिंग उत्पीडन की शिकायतों की संख्या
  2. ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया
  3. ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित है
  4. लैगिंग उत्पीडन के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या
  5. नियोक्ता द्वारा की गयी कार्यवाही का स्वरूप
- उपरोक्त रिपोर्ट माननीय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाएगी।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।